अनुदान संख्या 53 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 53–OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1015,53,00		1441,51,00	1223,46,08	–218,04,92
पूरक	Supplementary	425,98,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					361,05,07
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			19,45,00	59,57	–18,85,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''सामाजिक सुरक्षा और कल्याण'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (21804.92 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 42598.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 51 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (36105.07 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2235" – "Social Security and Welfare" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.21804.92 lakhs) constituted 51 percent of the supplementary grants of Rs.42598.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and 15 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.36105.07 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	47717.00			
पू.	S.	1472.00	48612.00	62364.56	+13752.56
पु.	R.	–577.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	10664.00	5174.29	4257.21	–917.08
पु.	R.	–5489.71			
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	270.00	221.68	131.52	–90.16
पु.	R.	–48.32			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	2500.00	2345.00	2345.00	. .
पु.	R.	–155.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	38640.00			
पू.	S.	41126.00	49996.96	51526.52	+1529.56
पु.	R.	–29769.04			

(I) 3606.20 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3589.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''पुनर्वास - भारत-पाक युद्ध, 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास - पाक अधिकृत कश्मीर और छंब निआबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति'' - 200.00 लाख रु. जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकार से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''उत्तर पूर्वी क्षेत्र - अन्य अनुदान - बोडो प्रादेशिक परिषद सचिवालय के लिए प्रशासनिक अवसंरचना का विकास'' - 1000.00 लाख रु. असम की राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें'' -

(i) ''मणिपुर'' - 880.00 लाख रु. राज्य सरकार से नए दावे/बिल प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) ''असम'' - 999.00 लाख रु. असम सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में अभी भी रह रहे जातीय हिंसा से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए असम की राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) ''पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति - पुनर्वास अनुदान'' - 510.00 लाख रु. पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.3606.20 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.3589.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Rehabilitation-Relief and Rehabilitation of persons affected by Indo-Pak Conflict,1971-Displaced persons from PAK occupied Kashmir and Chhamb Niabat Area" – Rs.200.00 lakhs - due to non- receipt of claims from the State Government of Jammu and Kashmir.

(B) Major Head "3601"- "Non - Plan Grants"-

(a) "North Eastern Areas – Other Grants – Development of Administrative Infrastructure for Bodo Territorial Council Secretariat" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-receipt of utilisation certificates from the State Government of Assam.

(b) "Rehabilitation-Other Rehabilitation Schemes" -

(i) "Manipur" - Rs.880.00 lakhs - due to non-receipt of fresh claims/bills from the State Government.

(ii) "Assam" – Rs.999.00 lakhs – due to non-receipt of proposal from the State Government of Assam for providing relief to landless families affected by ethnic violence still staying in the relief camps set up by the Government of Assam.

(c) "Rehabilitation – Displaced Persons from former East Pakistan – Rehabilitation Grants" – Rs.510.00 lakhs – due to non-receipt of claims for reimbursement from the State Government of West Bengal and Chhatisgarh.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3601"- "Non-Plan Grants – Other Social Security and Welfare Programme – Other Programme" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) ''1984 के दंगों में मृत्यु,चोट, सम्पत्ति को क्षति, बीमा न की गई वाणिज्यिक औद्योगिक सम्पत्तियों को क्षति के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा'' - 109.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23701.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 23810.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त दावे प्राप्त न होने के कारण 18156.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख़ा) ''गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त राहत और पुनर्वास'' - 10657.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो गुजरात के दंगा पीड़ितों को एक बार में अदायगी करने के लिए निधियों के उपलब्ध न होने के कारण 3602.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास'' के अंतर्गत 550.92 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे बोर्ड से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 325.66 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम को पूरा करने के समय को बढ़ाए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख़ा) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' - 6299.12 लाख रु. की बचत (8961.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरे कम संख्या में किए जाने, कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित न किए जाने, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को कम अदायगी किए जाने, अध्ययन के लिए व्यावसायिकों को किराए पर रखे जाने की स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और एनडीआरएफ कार्मिकों के प्रशिक्षण की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Enhanced Compensation for death, injury, damage to properties, damage to uninsured Commercial Industrial properties in 1984 riot" - the original provision of Rs.109.00 lakhs was augmented to Rs.23810.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23701.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18156.02 lakhs – due to non-receipt of sufficient claims for reimbursement from State Governments.

(B) "Additional relief and rehabilitation to the victims of communal riots of 2002 in Gujarat" – funds of Rs.10657.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3602.00 lakhs – due to non-availability of funds to make payment to Gujrat Riot Victims in one go.

(III) Under Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters" - saving of Rs.550.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Railway Board.

(IV) Under Major Head "2245"-"General - Management of natural disasters contingency plans in disaster prone areas" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Programme for Capacity Building for Earthquake Risk Management"- saving of Rs.325.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to delay in approval of extension of time for completion of the programme.

(B) "National Disaster Management Authority" - saving of Rs.6299.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8961.50 lakhs) was due to less number of foreign tours, non-shifting of office to new building, less payment made to NBCC, non-finalisation of scheme to hire professionals for study and less requirement towards training of NDRF personnel.

(गा) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' - 708.24 लाख रु. की बचत (1073.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और यात्राओं एवं लेखन सामग्री के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(C) "National Institute of Disaster Management" - saving of Rs.708.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1073.30 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less requirement towards travels and stationery.

(V) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' - 131.95 लाख रु. की बचत(260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन जारी किए जाने की वजह से पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2250" – "Other Expenditure – Other Schemes" – saving of Rs.131.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.260.00 lakhs) was due to less utilisation by North East Division owing to issuing of less advertisements.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाओं के लिए अदायगी'' के अंतर्गत 155.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3053" - "Air Services – Other Expenditure – Payment for Helicopter Services in North Eastern Region"- saving of Rs.155.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to receipt of less re-imbursement claims from State Governments.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "3601"- "Non-Plan Grants – Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''मिजोरम'' - 1383.92 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) ब्रू शरणार्थियों और बीएलएफएम के समर्पणकर्ताओं के परिवार के सदस्यों का प्रत्यावर्तन त्रिपुरा से मिजोरम में किए जाने के कारण हुई।

(A) "Mizoram" – saving of Rs.1383.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to non-repatriation of Bru refugees and family member of BLFM surrenderees from Tripura to Mizoram.

(खा) ''जम्मू तथा कश्मीर राहत और पुनर्वास'' - 2243.40 लाख रु. की बचत (12000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Jammu & Kashmir Relief & Rehabilitation" – saving of Rs.2243.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from State Government of Jammu & Kashmir.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीमें - केंद्रीय सरकार पेंशन'' - 13933.48 लाख रु. का अधिक व्यय (1472.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 45472.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के कारण केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दावों की प्रतिपूर्ति

(I) Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes - Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension"- excess of Rs.13933.48 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.45472.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1472.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for reimbursement of claims to

के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

the Public Sector Banks by Central Pension Accounting Office on account of Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन - आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि से धनराशि जारी/स्वीकृत किया जाना'' - 941.39 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 100% बहु दाता सहायता अनुदान स्कीम सहित भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास निधि आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(II) Major Head "2245"- "General – Management of natural disasters contingency plans in disaster Prone areas – Release/Sanction from UNDP for Disaster Risk Management Project" - excess of Rs.941.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to release of grants to Controller of Aid Accounts and Audit under Government of India UNDP DRM programme with 100% multi doner Grants-in-aid scheme.

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्ति - राहत अनुदान'' - 490.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1768.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने और प्रतिपूर्ति की दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।

(III) Major Head "3601" - "Non - Plan Grants – Rehabilitation – Repatriates from Sri Lanka – Relief Grant" - excess of Rs.490.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1768.00 lakhs) was due to increase in the number of repatriates and revision of rates of compensation.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (1945.00 लाख रु.) 1885.43 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

4. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.1945.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1885.43 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''4250'' अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	1945.00			
			. .	59.57	+59.57
पु.	R.	–1945.00			

(I) 475.30 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 475.00 लाख रु. अकेले ''प्राकृतिक आपदाएं - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' के अंतर्गत कार्यालय और रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए भूमि के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) ''प्राकृतिक आपदाएं'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' - 419.70 लाख रु. की बचत (469.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वीडियो दीवार स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''आपदा होने पर तीव्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण'' - 990.43 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.475.30 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.475.00 lakhs alone accounted for under "Natural Calamities – National Institute of Disaster Management" – due to non-finalisation of proposal for land for construction of office and residential buildings.

(II) Under "Natural Calamities" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Disaster Management Authority" - saving of Rs.419.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.469.70 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for installation of video wall in National Disaster Management Authority.

(B) "Building up specialized capability for rapid intervention in case of disasters" - saving of Rs.990.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of equipments.